

न्यायालय— पंकज शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद, जिला भिण्ड, म.प्र.

(आप.प्रक.क्रमांक :- 1294 / 2015)

(संस्थित दिनांक :- 18 / 12 / 2015)

म.प्र.राज्य,

द्वारा आरक्षी केन्द्र :- मालनपुर।

जिला—भिण्ड, म.प्र.

..... अभियोजन।

// विरुद्ध //

01. होम सिंह पुत्र सिपाही राम, उम्र 47 वर्ष।
निवासी :- हर्ष नगर, जिला—इटावा, (उ.प्र.)।

..... अभियुक्त।

// निर्णय //

(आज दिनांक : 09 / 02 / 2018 को घोषित)

01. आरोपी होम सिंह पर धारा 279 एवं 338 भा.द.सं. के अन्तर्गत आरोप है कि उसने दिनांक :- 21 / 05 / 2015 को सुबह लगभग 10:45 बजे भिण्ड—ग्वालियर रोड़ गुरीखा चौराहा सार्वजनिक मार्ग पर, उसके आधिपत्य के वाहन ट्रक क्रमांक यू.पी.75/एम/7720 को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया एवं उक्त वाहन को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर आहत साहिल खों में टक्कर मारकर अस्थिभंग कारित कर घोर उपहति कारित की।

02. प्रकरण में कोई सारवान निर्विवादित तथ्य नहीं हैं।

03. अभियोजन कथा संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक :- 21 / 05 / 2015 को सुबह लगभग 10:45 बजे भिण्ड—ग्वालियर रोड़ गुरीखा चौराहा सार्वजनिक मार्ग पर, वाहन ट्रक क्रमांक यू.पी.75/एम/7720 के चालक द्वारा उक्त वाहन को तेजी व लापरवाही से चलाकर फरियादी अकरम के भतीजे साहिल को टक्कर मारकर उपहति कारित करने की मौखिक रिपोर्ट फरियादी अकरम द्वारा उसी दिनांक को थाना मालनपुर में की जाने पर, थाना मालनपुर में वाहन ट्रक क्रमांक यू.पी.75/एम/7720 के चालक के विरुद्ध अपराध क्रमांक 75/2015 अन्तर्गत धारा 279 एवं 337 पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। आहत साहिल के एक्स—रे परीक्षण रिपोर्ट में अस्थिभंग होने का उल्लेख होने के कारण आरोपी के विरुद्ध धारा 338 भा.द.सं. का इजाफा किया गया। विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शा—मौका बनाया गया। आरोपी होम सिंह को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया गया। आरोपी द्वारा पेश करने पर वाहन ट्रक क्रमांक यू.पी.75/एम/7720 मय दस्तावेज की छायाप्रति जब्त कर जब्ती पंचनामा बनाया गया। जब्तशुदा वाहन का यांत्रिक परीक्षण कराया गया।

जब्तशुदा वाहन के पंजीकृत स्वामी प्रदीप कुमार का प्रमाणीकरण लेखबद्ध किया गया था। फरियादी अकरम एवं आहत/साक्षी साहिल एवं अनवर के कथन लेखबद्ध किये गये तथा विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

04. अभियुक्त होम सिंह के विरुद्ध धारा 279 एवं 338 भा.द.सं. के अन्तर्गत आरोप विरचित कर पढ़कर सुनाये, समझाये जाने पर अभियुक्त ने अपराध करना अस्वीकार किया। अभियुक्त का अभिवाक् अंकित किया गया।

05. अभियोजन साक्ष्य में अभियुक्त के विरुद्ध प्रकट हुए तथ्यों के संदर्भ में उसका धारा 313 दं.प्र.सं. के अन्तर्गत परीक्षण किये जाने पर उसने अभियोजन साक्ष्य में प्रकट हुए तथ्यों के सत्य होने से इंकार करते हुए बचाव में स्वयं को झूठा फसाया जाना व्यक्त किया।

06. न्यायिक विनिश्चय हेतु प्रकरण में मुख्य विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित है :-

01. क्या आरोपी होम सिंह ने दिनांक :- 21/05/2015 को सुबह लगभग 10:45 बजे भिण्ड-ग्वालियर रोड़ गुरीखा चौराहा सार्वजनिक मार्ग पर, उसके आधिपत्य के वाहन ट्रक क्रमांक यू.पी.75/एम/7720 को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया?

02. क्या आरोपी ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर उक्त वाहन को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर आहत साहिल खॉ में टक्कर मारकर अस्थिभंग कारित कर घोर उपहति कारित की?

03. अंतिम निष्कर्ष?

सकारण व्याख्या एवं निष्कर्ष
विचारणीय बिन्दु क्रमांक : 01 एवं 02

07. साक्ष्य विवेचना मे सुविधा की दृष्टि से तथा साक्ष्य के अनावश्यक दोहराव से बचने के लिए विचारणीय बिन्दु क्रमांक 01 एवं 02 का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

08. फरियादी अकरम खॉ अ.सा.01 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह आरोपी होम सिंह को जानता है। घटना 21 तारीख पॉचवा महीना 2015 की है। साक्षी आगे कहता है कि नागपुर से उसका भाई अनवर एवं साहिल बस से आये थे और गुरीखा तिराहे पर खड़े हुये थे। वह भी वहीं पर उन्हें लेने के लिए आया था, तब दिन के पौने ग्यारह बजे के करीबन की बात है, मालनपुर की ओर से ट्रक क्रमांक यू.पी.75/एम/7720 आया। उक्त ट्रक बड़ी स्पीड में आ रहा था और इसने बच्चे साहिल में टक्कर मार दी और थोड़ी दूर आगे जाकर खड़ा हो गया था, साहिल को सिर में चोट आई

थी। साक्षी आगे कहता है कि इसके पश्चात् वह लोग साहिल को लेकर मालनपुर गये थे, घटनास्थल पर काफी भीड़ हो गई थी। मालनपुर पहुँच एम्बलेंस से साहिल को लेकर ग्वालियर गये। रिपोर्ट प्र.पी.01 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। 22 तारीख को पुलिस के द्वारा रिपोर्ट लेख की गई थी एवं नक्शा-मौका प्र.पी.02 बनाया गया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी आगे कहता है कि 22 तारीख को रिपोर्ट इसलिए की थी, क्योंकि वह साहिल के साथ ग्वालियर चला गया था। साक्षी आगे कहता है कि दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन को आरोपी होम सिंह चला रहा था।

09. प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 03 में अकरम अ.सा.01 ने यह दर्शित किया है कि उसने प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 में दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन चालक का नाम लिखाया था। साक्षी को प्र.पी.01 की रिपोर्ट दिखाकर पूछे जाने पर जिसमें की आरोपी चालक का नाम अंकित नहीं है, उसने कहा कि शायद वह नहीं लिखा पाया होगा। ऐसी दशा में जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 में अकरम अ.सा.01 द्वारा दुर्घटनाकारित करने वाले चालक के रूप में आरोपी होम सिंह का नाम नहीं लिखाया था, तब उसके द्वारा न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में यह दर्शित किया जाना चाहिए था कि उसे पश्चात्वर्तीय प्रक्रम पर दुर्घटनाकारित करने वाले चालक के रूप में आरोपी होम सिंह का नाम कब पता चला। उल्लेखनीय है कि अकरम अ.सा.01 के पुलिस कथन में भी दुर्घटनाकारित करने वाले चालक के रूप में आरोपी होम सिंह अथवा किसी अन्य व्यक्ति का नाम अंकित नहीं है। मुख्य परीक्षण में अकरम अ.सा.01 का कहना है कि टक्कर मारने के बाद होम सिंह ने ट्रक थोड़ी दूर आगे जाकर खड़ा कर दिया था। जबकि उसके पुलिस कथन में इस तथ्य का उल्लेख है कि दुर्घटनाकारित करने वाला ट्रक चालक उक्त ट्रक को भिण्ड तरफ भगाकर ले गया। इस प्रकार आरोपित दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन चालक के रूप में आरोपी होम सिंह की पहचान के संबंध में फरियादी अकरम अ.सा.01 का न्यायालयीन अभिसाक्ष्य संदेहास्पद है।

10. साक्षी अनवर अ.सा.03 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह आरोपी होम सिंह को जानता है। घटना 21 तारीख पौचवा महीना 2015 की है। साक्षी आगे कहता है कि वह, उसकी बीबी एवं बच्चा साहिल एवं सोनम नागपुर से आकर गुरीखा चौकी पर उतरे थे, वहीं पर सब लोग खड़े थे, तो ग्वालियर की ओर से एक गिट्टी से भरा हुआ ट्रक आया, ट्रक वाला ट्रक को लापरवाही से तथा 50-60 की स्पीड से चलाता हुआ लाया और उसने उसके बच्चे साहिल के उपर ट्रक का पिछला पहिया चढ़ा दिया। साक्षी आगे कहता है कि ट्रक को न्यायालय में उपस्थित आरोपी होम सिंह चला रहा था। ट्रक का क्रमांक यू.पी.75/एम/7720 था। उसके बच्चे साहिल को उल्टे हाथ में और सिर में चोट आई थी, टक्कर लगने से साहिल बेहोश हो गया था। तत्पश्चात् बच्चे को एम्बूलेंस से थाना मालनपुर लेकर गये, फिर उसे ग्वालियर लेकर गये थे, रिपोर्ट वगैरह लेख की गई थी।

11. उल्लेखनीय है कि अनवर अ.सा.03 के पुलिस कथन में उसने दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन चालक के रूप में आरोपी होम सिंह की पहचान संबंधी कोई तथ्य दर्शित नहीं किये हैं। अनवर अ.सा.03 ने उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहीं पर भी यह दर्शित नहीं किया है कि उसे पुलिस कथन लेखबद्ध कराने के पश्चात् किस प्रक्रम पर कब, कहाँ और किसके द्वारा दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन चालक के रूप में आरोपी होम सिंह का नाम पता चला। मात्र न्यायालय में उपस्थित होकर किसी व्यक्ति को दुर्घटनाकारित करने वाले चालक के रूप में पहचान लेना एक कमजोर किस्म का साक्ष्य है, जब तक की उक्त साक्षी ने विवेचना के दौरान उक्त व्यक्ति को आरोपी के रूप में इंगित ना किया हो।

12. साक्षी प्रदीप कुमार अ.सा.08 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह ट्रक क्रमांक यू.पी.75/एम/7720 का पंजीकृत स्वामी है। साक्षी आगे कहता है कि उसकी गाड़ी को ड्रायवर होम सिंह चलाता था, उसकी गाड़ी को दिनांक 21/05/2015 को कौन चला रहा था, उसे इसकी जानकारी नहीं है। साक्षी आगे कहता है कि उसने इस संबंध में प्रमाणीकरण दिया था, प्रमाणीकरण प्र.पी.13 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी साक्षी प्रदीप कुमार अ.सा.08 ने अभियोजन अधिकारी के इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि दिनांक : 21/05/2015 को उसका ट्रक क्रमांक यू.पी.75/एम/7720 को होम सिंह चला रहा था एवं उक्त दिनांक को उक्त ट्रक को उपेक्षापूर्वक या उतावलेपन से चलाकर गुरीखा चौराहा पर शाहिद खां को टक्कर मारकर उपहति कारित थी। साक्षी ने इस सुझाव को भी अस्वीकार किया है कि वह आरोपी को बचाने के लिए आज न्यायालय में असत्य कथन कर रहा है। इस प्रकार साक्षी प्रदीप कुमार अ.सा.08 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य से भी ऐसे कोई तथ्य प्रकट नहीं हुये हैं जो आरोपित घटना में दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन चालक के रूप में आरोपी होम सिंह की पहचान को दर्शित करते हो।

13. अभियोजन साक्षी रमेश सिंह अ.सा.06 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह दिनांक : 21/05/2015 को थाना मालनपुर में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को फरियादी अकरम खान, निवासी :- इकहारा ने ट्रक क्रमांक यू.पी.75/एम/7720 के चालक के विरुद्ध तेजी एवं लापरवाही से चलाकर उसके भतीजे में टक्कर मारने वावत् रिपोर्ट की थी, उक्त रिपोर्ट पर उसने अपराध क्रमांक 75/2015 अन्तर्गत धारा 279 एवं 337 भा.द.सं. दर्ज कर विवेचना हेतु प्रधान आरक्षक 335 संतोष तिवारी को दी गई थी, रिपोर्ट प्र.पी.01 है, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 02 में रमेश अ.सा.06 ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि फरियादी द्वारा उसे ट्रक चालक का नाम नहीं बताया गया था और उसने रिपोर्ट प्र.पी.01 में ट्रक चालक का नाम लेखबद्ध नहीं किया है। उल्लेखनीय है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 में दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन चालक का नाम अंकित नहीं है।

14. अभियोजन साक्षी संतोष तिवारी अ.सा.07 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह दिनांक : 22/05/2015 को थाना मालनपुर में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसे थाना मालनपुर के अपराध क्रमांक 75/2015 अन्तर्गत धारा 279 एवं 337 भा.द.सं. की प्रथम सूचना रिपोर्ट विवेचना हेतु प्राप्त होने पर फरियादी अकरम के बताये अनुसार घटनास्थल का नक्शा-मौका प्र.पी.02 बनाया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही उसके द्वारा फरियादी अकरम, साक्षी साहिल एवं अनवर कथन उनके बताये अनुसार कथन लेखबद्ध किये थे। साक्षी आगे कहता है कि आहत साहिल के एक्स-रे रिपोर्ट में अस्थिभंग होने से उसने धारा 338 भा.द.सं. का इजाफा किया था। उसके द्वारा दिनांक : 22/05/2015 को आरोपी होम सिंह को थाना परिसर में उपस्थित होने पर गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र.पी.11 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही आरोपी होम सिंह से ट्रक क्रमांक यू.पी. 75/एम/7720 मय दस्तावेज जब्त कर जब्ती पंचनामा प्र.पी.12 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। वाहन मालिक प्रदीप का प्रमाणीकरण प्राप्त किया था। तत्पश्चात् विवेचना पूर्ण कर केस डायरी थाना प्रभारी को सौंप दी थी।

15. प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 06 में विवेचक संतोष तिवारी अ.सा. 07 ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि फरियादी अकरम एवं साक्षी अनवर द्वारा उसके पुलिस कथनों में दुर्घटनाकारित करने वाले किसी भी ट्रक चालक या आरोपी होम सिंह का नाम नहीं बताया था और ना ही उनके द्वारा दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन चालक की कोई पहचान बताई थी। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 08 में विवेचक संतोष तिवारी अ.सा.07 ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि आहत साहिल का कथन किस तारीख को किस स्थान पर लिया गया इसका उल्लेख उसके द्वारा साहिल के पुलिस कथन में नहीं किया गया है। साक्षी ने इस सुझाव को भी स्वीकार किया है कि आहत साहिल ने उसे दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन का क्रमांक एवं वाहन चालक के रूप में आरोपी होम सिंह का नाम नहीं बताया था। आहत साहिल को न्यायालयीन अभिसाक्ष्य अंकित कराये जाने के लिए प्रस्तुत किये जाने पर न्यायालय ने उसे धारा 118 साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम साक्षी प्रतीत ना होने पर बिना परीक्षण के उन्मुक्त किया।

16. डॉ.जी.एस.वर्मा अ.सा.04 एवं डॉ. सोम विश्वास अ.सा.05 घटना के चक्षुदर्शी साक्षी ना होकर केवल आहत को कारित चोटों के संबंध में अभिमत के साक्षी होने के कारण एवं अभियोजन की पूर्व में विवेचित अन्य साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए उनकी चिकित्सीय अभिमत संबंधी साक्ष्य की कोई विवेचना नहीं की जा रही है।

17. उपरोक्त विवेचना के आलोक में न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि

आरोपी होम सिंह ने दिनांक :- 21/05/2015 को सुबह लगभग 10:45 बजे भिण्ड-ग्वालियर रोड़ गुरीखा चौराहा सार्वजनिक मार्ग पर, उसके आधिपत्य के वाहन ट्रक क्रमांक यू.पी.75/एम/7720 को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया एवं उक्त वाहन को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर आहत साहिल खॉ में टक्कर मारकर अस्थिभंग कारित कर घोर उपहति कारित की।

अंतिम निष्कर्ष

18. उपरोक्त साक्ष्य विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अभियोजन आरोपी होम सिंह के विरुद्ध धारा 279 एवं 338 भा.द.सं. के आरोपों को संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। फलतः आरोपी होम सिंह को भा.द.सं. की धारा 279 एवं 338 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

19. अभियुक्त की उपस्थिति संबंधी प्रतिभूति एवं बंधपत्र भारमुक्त किये जाते हैं। जमानतदार को स्वतंत्र किया जाता है।

20. प्रकरण में जब्तशुदा वाहन ट्रक क्रमांक यू.पी.75/एम/7720 उसके पंजीकृत स्वामी को प्रदान कर व्ययनित किया जाये। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय का व्ययन संबंधी आदेश प्रभावी होगा।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित।
एवं दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

(पंकज शर्मा)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद

(पंकज शर्मा)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद